न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/19 वाद

1. रामा पिता वीरमा गमेती आयु बालिंग
2. रतनसिह पिता भैरूसिह आयु बालिंग
3. भीमसिह पिता भंवरसिह आयु बालिंग
4. रामा पिता रोडा गमेती आयु बालिंग
5. वक्तावर पिता मेगा गमेती आयु बालिंग
6. लच्छीराम पिता रामलाल गमेती आयु बालिंग, सर्व निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल तह. गिर्वा उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. पूनाराम पिता हेमा गमेती आयु बालिंग
2. कालुराम पिता हेमा गमेती आयु बालिंग
3. मनोहरलाल पिता हेमा गमेती आयु बालिंग
4. सुरे"ा पिता हेमा गमेती आयु बालिंग
7. मिठूलाल पिता हेमा गमेती आयु बालिंग, सर्व निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल तह. गिर्वा उदयपुर

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

सपठित धारा 151 जा.दी.

श्री नरेन्द्र चित्तोडा अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 04.12.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान का"तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम सेठजी की कुण्डाल तह. गिर्वा में आराजी संख्या 248 रकबा 0.150, आ.स. 249 रकबा 0.0300, आ.स. 250 रकबा 0.2250 आ.स. 251 रकबा 0.150, आ. स. 252 रकबा 0.0200, आ.स. 254 रकबा 0.0200, आ.स. 255 रकबा 1.7500 हेक्टयर कुल किता 8 रकबा 2.1300 हेक्टयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में विकास पंचायत बलीचा के नाम दर्ज होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्व ग्राम वासियान सेठजी की कुण्डाल व ग्राम पंचायत की है।

प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुये मकान निर्माण का कार्य कर रहे है, निर्माण कार्य हेतु किसी संस्था या निकाय की स्वीकृति प्राप्त नही है, कृषि भूमि पर

बिना भू–उपयोग परिवर्तन किये मकान निर्माण किया जा रहा है जो अवैध होकर ध्वस्त किये जाने योग्य है।

वाद कारण दिनांक 01.01.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगणों को उक्त अवैध निर्माण हेतु मना किया लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आ"ाय की स्थाई निषेद्याज्ञा फरमाई जावें कि सार्वजनिक भूमि में बिना किसी निर्माण स्वीकृति के अवैध निर्माण नही करें, अवैध निर्माण किया गया है जिसे ध्वस्त करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदे"ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण ने मौजा सेठजी की कुण्डाल तह. गिर्वा में स्थित आराजी संख्या 248 से 255 किता 8 रकबा 2.1300 हेक्टयर भूमि के संबंध में स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है।

यह कि कानूनी प्रावधान के अनुसार धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद खातेदार ही ला सकता है, वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदार नही है। वादीगण ने अपने वाद के कलम संख्या 1 में ही अंकित किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में विकास पंचायत बलीचा के नाम दर्ज होंकर ग्राम पंचायत की है एवं प्रतिवादीगण अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहे है, लेकिन वादीगण ने कही यह अंकित नही किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का क्या हित व अधिकार है। वादीगण ने अपने वाद में कही यह भी अंकित नही किया कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण कैसे उत्पन्न हुआ।

वादीगण के कथनानुसार ही वादीगण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार या टेनेन्ट नही है, वादीगण को वादकारण ही उत्पन्न नही हुआ ऐसी स्थिति में वादीगण यह वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है। वादीगण का वाद इसी स्तर पर हस्ब आदे"ा 7 नियम 11 जा.दी. निरस्त किये जाने योग्य है।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के प्रार्थना पत्र आदे"ा 7 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत नही कर बहस करना स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा वादीगण के प्रार्थना आदे"ा 7 नियम 11 के जवाब अवसर बन्द किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि कानूनी प्रावधान के अनुसार धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद खातेदार ही ला सकता है, वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदार नही है। वादीगण ने अपने वाद के कलम संख्या 1 में ही अंकित किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में विकास पंचायत बलीचा के नाम दर्ज होंकर ग्राम पंचायत की है।

वादीगण ने अपनी बहस में तर्क किया कि वादीगण ने जनहित में यह वाद प्रस्तुत किया है भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित हुई थी, राजस्व रेकार्ड में भूमि विकास पंचायत बलीचा के नाम दर्ज रेकार्ड है हम केवल जनहित के लिये लड रहें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया गया न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रस्तुत आं"ाक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 334 ना.स. 880 दिनांक 29.5.14 में वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विकास पंचायत बलीचा के नाम दर्ज रेकार्ड है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि 188 का वाद केवल खातेदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जहा तक जनहित की बात हुई ''जनहित'' की पी.आई.एल. स्वीकार करने का अधिकार सिर्फ माननीय न्यायालय हॉई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को है। प्रार्थना पत्र आदे"ा 7 नियम 11 में कॉज ऑफ ऐक"ान द"ार्ाना आव"यक है जो कि वाद से स्पष्ट नही होता है, क्योंकि बिना खातेदारी के कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे"ा 7 नियम 11 एवं सहपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी डॉ. सौम्या झा, आई.ए.एस. मुकद्मा 18/19 सन 2019 सीगह वाद (1) रामा पिता वीरमा गमेती आयु बालिंग (2) रतनसिह पिता भैरूसिह आयु बालिंग (3) भीमसिह पिता भंवरसिह आयु बालिंग (4) रामा पिता रोडा गमेती आयु बालिंग (5) वक्तावर पिता मेगा गमेती आयु बालिंग (6) लच्छीराम पिता रामलाल गमेती आयु बालिंग, सर्व निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल तह. गिर्वा उदयपुर बनाम (1) पूनाराम पिता हेमा गमेती आयु बालिंग (2) कालुराम पिता हेमा गमेती आयु बालिंग (3) मनोहरलाल पिता हेमा गमेती आयु बालिंग (4) सुरे"ा पिता हेमा गमेती आयु बालिंग (5) मिठूलाल पिता हेमा गमेती आयु बालिंग, सर्व निवासी ग्राम सेठजी की कुण्डाल तह. गिर्वा उदयपुर। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे"ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री नरेन्द्र चित्तौडा अधिवक्ता वादी एवं खमेराज डांगी अधिवक्ता प्रति.सख्या 2 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे"ा 7 नियम 11 एवं सहपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि ..... आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रद"ार्ो के लिए स्टाम्प			प्रद"ार्ो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
आदे"ाका की तामील			आदे"ाका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2020.01.07 18:04:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: